

विविधताओं से परिपूर्ण श्याोपुर के विकास की असीम संभावनाएं : डीएम



नवभारत न्यूज
श्याोपुर, 25 मई। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने कहा कि श्याोपुर जिला विविधताओं से परिपूर्ण है, अपनी संस्कृति, प्रकृति से धन-धान्य इस जिले के विकास की संभावनाएं असीम है, वर्तमान में यह जिला प्रगति की ओर उत्तरोत्तर कदम बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीता प्रोजेक्ट ने

श्याोपुर जिला गठन के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

इस जिले को विश्वव्यापी पहचान दी है। 60 प्रतिशत वन संपदा से आच्छादित और राजस्थानी संस्कृति के साथ ही विजयपुर क्षेत्र में ब्रजभाषी लोक संस्कृति और कराहल की सहरिया संस्कृति इस जिले को विभिन्न आयाम प्रदान कर

तीन लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज

नवभारत न्यूज
श्याोपुर, 25 मई। थाना कराहल दहेज हेतु प्रताड़ना फरिया. माया पत्नी टीकम लोहपीटा उम्र 31 साल नि. सुल्तानपुर राजस्थान हाल नि. कराहल ने रिपोर्ट की कि दि. 04.07.24 23.05.26 के 15.30 बजे तक स्थान फरिया की ससुराल सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.) आरोपीगण टीकम , रामलाल , सौतानबाई नि.गण सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.) ने फरिया. को दहेज में 50 हजार रुपये एवं मौ.सा. न लाने की बात पर से घर से निकाल दिया ।दि. 23.05.26 के 16.16 बजे अप. क्र. 08/26 धारा 85 बीएनएस 1/2 दहेज एक्ट कायम कर लिया है।

घर गृहस्थी की बात को लेकर मारपीट: थाना चिलवानी मारपीट फरिया. गायत्री पत्नी संत यादव उम्र 55 साल नि. ग्राम डोंगरपुर थाना चिलवानी ने रिपोर्ट की कि दि. 22.05.26 के 19.00 के 19.10 बजे स्थान फरिया के घर के आंगन में ग्राम डोंगरपुर आरोपीगण पंजाब पुत्र संतु यादव , वर्षा पत्नी पंजाब यादव नि.गण सदर ने फरिया. व उसके बेटे सतीश को घर गृहस्थी की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । दि. 23.05.26 के 18.29 बजे अप. क्र. 09/26 धारा 296 (ए), 3(5), 115 (2),351(3) बीएनएस कायम

कर लिया है।

फैन पर बात करने की बात को लेकर मारपीट: थाना मानपुर मारपीट फरिया. लोकेश पुत्र छोटलाल बैरवा उम्र 30 साल नि. ईचनाखेडली ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 18.00 बजे स्थान फरि. के घर के पास ग्राम ईचनाखेडली आरोपीगण धनजीत बैरवा , रामचंद्र बैरवा नि.गण सदर ने फरि से कहा तुम्हारी पत्नी मेरी लडक को फैन पर बात क्यो करती है इसी बात को लेकर गन्दी- गन्दी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । दि. 23.05.26 के 20.50 बजे अप. क्र. 83/26 धारा 296(ए),3(5),115(2),351(3) बीएनएस कायम कर लिया है।

पुरानी रंजिश की बात पर एक ने हवाई फ़यर करने का मामला कायम : थाना विजयपुर हवाई फ़यर किया फरि. कसान पुत्र छोटे जादौन उम्र 49 साल नि. काठौन थाना विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 12.40 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर ग्राम काठौन आरोपी मोहन सिंह जादौन नि. सदर ने फरि को पुरानी रंजिश की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मना करने पर बंदूक से हवाई फ़यर किया व जान से मारने की धमकी दी । दि 23.05.26 के 17.45 बजे अप. क्र. 178/26 धारा 125,296(ए),351(3) बीएनएस

कायम कर लिया है।

मोटर चालू करने की बात को लेकर गाली-गलौच मारपीट: थाना अगरा मारपीट फरि. लखन पुत्र लक्ष्मण मोगिया उम्र 40 साल नि. दंगपुरा थाना अगरा ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 06.00 से 06.10 बजे स्थान कैकयी आदिवासी के खेत में बने कुँआ के पास परमाल का पुरा विजयपुर आरोपीगण श्यामलाल मोगिया , लड्डु मोगिया, सोनी मोगिया , रुकमा मोगिया नि.गण पिपरवास ने फरि को पानी की मोटर चालू करने की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । दि. 23.05.26 के 09.50 बजे अप. क्र. 28/26 धारा 296(ए),3(5),115(2),351 (3) बीएनएस कायम कर लिया है।

घर में रहने की बात को लेकर मारपीट : थाना आवदा मारपीट नयागांव ने रिपोर्ट की कि दि. फरि. साजन पुत्र मांगीलाल आदिवासी उम्र 21 साल नि. 23.05.26 के 19.00 से 19.10 बजे स्थान फरि. के घर बाहर आंगन आरोपी धीरज पुत्र रंजीत आदिवासी नि. सदर ने फरि. व उसकी मां को घर में रहने की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । दि. 23.05.26 के 22.25 बजे अप. क्र. 48/26 धारा 296 (ए), 115(2),351(3)

बीएनएस कायम कर लिया है।

करवला बंगले के पास बैठने की बात पर मारपीट : थाना कोतवाली मारपीट फरि. जेद अली पुत्र संजू अली उम्र 17 सॉल नि. इमामबाड़ा श्याोपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 22.00 बजे स्थान करवला बंगले के पास खाली जगह आरोपीगण रहमान , फरदीन , बाली नि.गण श्याोपुर ने फरि को करवला बंगले के पास बैठने की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट की ।दि. 23.05.26 के 23.49 बजे अप. क्र. 159/26 धारा 296 (बी), 115 (2), 3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

बीमारी के दौरान एक की मृत्यु मर्ग कायम : थाना कोतवाली मर्ग सूचनाकर्ता नैनसिंह पुत्र कर्ण सिंह परिहार नि. वाई क्र. 02 सोदिया गली सुसनेर जिला आगर मालवा ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 07.00 बजे स्थान न्यू मेडीकल कॉलेज कोटा (राज.) मचरी हाउस मृतक विनोद पुत्र ईंदर परिहार उम्र 22 साल नि. वाई क्र. 02 सोदिया गली सुसनेर जिला आगर मालवा हाल कुरंशी मुर्गी फर्म रिलाईस पैट्रोल पंप के सामने खातोली रोड श्याोपुर मृतक की मृत्यु दि. 15.05.26 के को बीमर होकर दौराने इलाज 23.05.26 को मेडीकल कॉलेज कोटा (राज.) में मृत्यु हो गई ।दि. 23.05.26 के 22.07 बजे मर्ग क्र. 13/26 धार

194 बीएनएस कायम कर लिया है।

गाड़ी हटाने की बात पर चार ने एक को पीटा : थाना कोतवाली मारपीट फरि. ईमरान पुत्र इंसाफ खान उम्र 35 साल नि. सलापुरा ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 22.00 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर आरोपीगण रेयान खान , अंजार खान , शमशुन बानो , मौनू उर्फ समर निगण सलापुरा ने फरि. को गाडी हटाने की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मारपटी की एवं गाडी का शीशा तोड़कर नुकसान कर दिया ।दि. 24.05.26 के 00.41 बजे अप. क्र. 160/26 धारा 296(बी),115(2),324 (2), 3(5) बीएनएस कामय कर लिया है।

क्रोस मामला कायम : थाना कोतवाली मारपीट फरि रेयान पुत्र अंजार खान उम्र 22 साल नि. सलापुरा ने रिपोर्ट की कि दि. 23.05.26 के 22.00 बजे स्थान फरि. के घर के बाहर आंगन आरोपीगण ईमरान खान , आदिल खान , अयान खान , सोनी बानो नि.गण सदर ने फरि को गाडी हटान की बात को लेकर गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । दि. 24.05.26 के 01.18 बजे अप. क्र. 161/26 धारा 296(बी),115(2),351 (3), 3(5) बीएनएस कायम कर लिया है।

वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना ऐतिहासिक

भोपाल, 25 मई. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने और उन्हें ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य ऐतिहासिक है तथा मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री सोमवार को भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर 849 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन



करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के कारण मध्यप्रदेश को स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है.

उम्मीद पोर्टल के माध्यम से सभी वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज की गई हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी

है और अतिक्रमण रोकने में सफलता मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि 'पदो-पदाओ और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो' योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है. उन्होंने बताया कि नए कानूनों और पारदर्शी व्यवस्था के कारण वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि हुई है तथा गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायता दी जा रही है. कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यालयन अधिकारी फरजाना गज़ाल, शहर काजी मुस्ताक अली नदमी, असलम भाई सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लागू नए वक्फ कानूनों से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है तथा वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि के अवसर बने हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वक्फ सुधारों के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका

निभा रहा है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम और भारत-पाक युद्ध के वीर सैनिक कैप्टन हमीद का स्मरण करते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वक्फ भवना का नाम डॉ कलाम के नाम पर रखा जाएगा.

आज होगा आपदा प्रबंधन तैयारियों का मॉक ड्रिल

भोपाल, 25 मई . राजधानी भोपाल में 26 मई मंगलवार को सिविल डिफेंस की ओर से आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए विशेष मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है.मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजना, आपातकालीन वाहनों की आवाजाही, खोज एवं बचाव गतिविधियां तथा अन्य आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यावाहियां दिखाई दे सकती हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सभी गतिविधियां केवल प्रशिक्षण और तैयारी का हिस्सा हैं. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी प्रकार की चिंता या भ्रम की स्थिति न बनने दें तथा पूरी तरह निश्चित रहें. प्रशासन ने अभ्यास के दौरान संबंधित एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करने और सोशल मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित नहीं करने का आग्रह भी किया है.

सोशल मीडिया गंतव्य नहीं, एक माध्यम है

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़र्म हमारी मंजिल नहीं और न ही गंतव्य है, यह केवल एक माध्यम है, इसका उपयोग अपनी ग्रीथ बढ़ाने के लिए करें, अपने आ्म को अपडेट रखने के लिए करें और रचनात्मक कार्यों में उपयोगिता के लिए इसका उपयोग करें। अपने सकारात्मक और मानवीय पहलों को इसके माध्यम से प्रमोट करें, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हों और अनुसरण करते हुए जनकल्याण की भावना के साथ कार्य करें। सकारात्मक कार्यों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपने अध्ययन अथवा जाँब क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्य किया जाये।

शक्ति को आक्लान करते हुए कहा कि प्रकृति के संरक्षण की मुहिम में शामिल होकर अपना दायित्व निभायें, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भू-जलस्तर में गिरावट आ रही है, इसलिए प्राकृतिक संतुलन के लिए जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील की कि विभागीय स्तर पर तो प्रयास किये ही जा रहे हैं, लेकिन समुदाय स्तर पर कार्य होने से हमें सफलता मिलेगी, इसलिए सभी नागरिक अपने भवनों और परिसरों में रैन वाटर हावैरिस्टिंग सिस्टम लगाकर वर्षा जल को भूमि में संग्रहित करने की पहल को आगे बढ़ायें, इसमें खर्च भी काफी कम होता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें सबकुछ दिया है, हमारा भी दायित्व है कि हम भी प्रकृति को कुछ न कुछ जरूर दें। उन्होंने यह भी कहा कि यह धरती मनुष्य के लिए ही नहीं है, यहां असंख्य जीव-जंतु और पशु-पक्षी भी है, उनकी देखभाल का

जिम्मा भी मनुष्यों पर है, इसलिए ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। प्रशासन की ओर से दाना पानी अभियान चलाया गया है, जिसमें बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाये जा रहे हैं, काफी लोगों ने सकोरे लगाने की पहल की है। परिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए सभी जीव-जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है और यह हमारा मानवीय दायित्व भी है।

विकास कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन
कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा व्याख्यान माला से पूर्व श्याोपुर कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा जिले में हुए विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का फ़ीता काटकर शुभारंभ किया गया तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मॉ सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्पार्षण के साथ हुई।



गसवानी में कलश यात्रा, जल संवाद का आयोजन

नवभारत न्यूज
श्याोपुर, 25 मई। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सोम्या आनंद के निर्देशन में जनपद पंचायत विजयपुर अंतर्गत ग्राम गसवानी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलश यात्रा एवं जल संवाद का आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अंतर्गत संचालित नवांकुर संस्था कौशिकी सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी ग्राम गसवानी के तत्वाधान में आयोजित उक्त कार्यक्रम के दौरान जनपद सीईओ विजयपुर दीपक धाकड़, सब इंजीनियर श्री गुप्ता, मनीष राजौरिया, राकेश जाटव, सरपंच प्रतिनिधि अमित तिवारी,



संस्था सचिव दिलीप तिवारी आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर बड़े मंदिर से कोठारी वाले हनुमान मंदिर तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। जल संवाद कार्यक्रम में सीईओ जनपद श्री धाकड़ ने कहा कि जल ही जीवन है जल नहीं तो

कल नहीं, इसलिए सभी ग्रामीण जल संरक्षण की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि रैन वाटर हावैरिस्टिंग सिस्टम के माध्यम से वर्षाजल का संग्रहण किया जायें। इस अवसर पर एनआरएलएम के ब्लॉक समन्वयक बृजेश शर्मा द्वारा जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

अब स्कूलों में चलेगी अभिभावकों की मर्जी

सिंगल मेनेजमेंट कमेटी में पैरेंट्स को 75% और महिलाओं को मिला आधा हक

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 25 मई. प्रदेश के स्कूलों में अब एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 75 प्रतिशत सदस्य विद्यार्थियों के माता-पिता या उनके अभिभावक होंगे. वहीं इस कमेटी में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की होगी. बता दें राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के लिए स्कूल मेनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी की नई गाइडलाइंस 2026 को लागू करने का निर्देश दिया है.

जिसके तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं. जिसके बाद अब स्कूलों के प्रबंधन और फैसलों में अभिभावकों की भूमिका सबसे बड़ी होगी.. बता दें केंद्र सरकार के बदले हुए समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क के आधार पर जारी की गई इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब हर स्कूल में केवल एक ही सिंगल एसएमसी काम करेगी. जिसके तहत अब नई कमेटी पहले से चल रही अलग-अलग कमेटियों की जगह लेगी. बता दें इस नई व्यवस्था में समाज के हर वर्ग को शामिल करने

का पूरा ध्यान रखा गया है. कमेटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग वंचित समूहों और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को भी अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

नए नियमों के अनुसार सभी स्कूलों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर इस कमेटी का गठन करना होगा. वहीं स्कूल के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए हर महीने एसएमसी की बैठक करना जरूरी कर दिया गया है. यह कमेटी बच्चों के स्कूल में दाखिले उनकी उपस्थिति, छात्रों को मिलने वाले लाभों के वितरण, स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और पीएम पोषण व पीएम श्री जैसी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पैनी नजर रखेगी. साथ ही कमेटी को वित्तीय अधिकार भी सौंपे जायेंगे. जिसके तहत कमेटियां स्कूल में होने वाले 30 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों की देखरेख कर सकेंगी.